



राजमाता विजयाराजे सिंधिया कृषि विश्वविद्यालय, ग्वालियर
कैलाश नाथ काटजू उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर (म.प्र.)

Ph : 07422-297178 (O) 07422-297178 (Fax)

// निविदा सूचना //

सभी इच्छुक खरीददारों को सूचित किया जाता है कि उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर प्रक्षेत्र पर लगे अमरुद, आँवला, संतरा, नींबू, बेर एवं बेल फसल वर्ष 2022-23 के विक्रय हेतु टेण्डर आमंत्रित किये जाते हैं। इच्छुक खरीददार अपने-अपने भाव पत्र बन्द लिफाफे में उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के कार्यालय में नीलामी तिथि में समय पर उपस्थित रहकर अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर द्वारा गठित समिति के समक्ष नीलामी द्वारा विक्रय किया जावेगा। अपने-अपने भाव पत्र निर्धारित प्रपत्र में भरकर दिनांक 17/10/2022 को अपराहंत 02:00 बजे तक जमा करें। इसके बाद प्राप्त टेण्डरों पर विचार नहीं किया जावेगा। टेण्डर दिनांक 17/10/2022 को 03:00 बजे बाद अधिष्ठाता उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर द्वारा गठित समिति के सामने खोले जावेंगे। जिसकी शर्तें निम्न होगी:-

1. प्रत्येक टेण्डर प्रेषक को अमरुद बगीचा फसल के लिये रु. 30000/-, आँवला बगीचा फसल के लिये रु. 30000/- एवं नींबू संतरा बगीचा फसल के लिये रु. 10000/- अमानत राशि के रूप में नगद जमा कराना होगा। यह राशि टेण्डर के बाद पावती रसीद जमा करने के बाद वापस कर दी जावेगी। फल फसल विशेष के लिए जमा किए गये टेण्डर को तभी सम्मेलित किया जावेगा जबकि उस फसल विशेष की अमानत राशि उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के कार्यालय में दिनांक 17/10/2022 को अपराहंत 02:00 बजे तक जमा कर सकेगे।
2. नीलामी प्राप्तकर्ता को तीन दिवस में नीलामी स्वीकृति की सम्पूर्ण राशि जमा करनी होगी अथवा इस बीच कोई अवकाश आता है तो आगामी कार्यालयीन दिवस में जमा करनी होगी। तथा इस बीच नीलामी प्राप्तकर्ता व्यक्ति फलों की तुड़ाई नहीं कर सकेगा। अगर उक्त व्यक्ति द्वारा निर्धारित समय में स्वीकृत सम्पूर्ण नीलामी राशि जमा नहीं करा पाता है तो उसकी जमा धरोहर राशि राजसात कर द्वितीय स्थान वाले खरीददार को स्वीकृत टेण्डर राशि प्रथम स्थान वाले खरीददार की दर पर क्रय करने का अवसर होगा।
3. फसल की चौकीदारी रखरखाव एवं किसी भी तरह के नुकसान की पूर्ण जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी। फल तुड़ाई एवं अन्य कार्य में लगे श्रमिकों के साथ हुई किसी भी तरह की दुर्घटना की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
4. नीलामी के पश्चात् फल वृक्षों में हवा, आंधी, तूफान, पाला, रोग एवं कीट व्याधि से हुए नुकसान की जवाबदारी स्वयं ठेकेदार की होगी।
5. नीलामीप्राप्तकर्ता को बिजली जलाने के लिये अलग से अस्थाई विद्युत कनेक्शन लेना होगा।
6. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा फलों की कतारों के बीच में लगी फसल को कोई नुकसान नहीं पहुंचाया जावेगा तथा फलवृक्षों को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाएगा।
7. नीलामी प्राप्तकर्ता फल प्रक्षेत्र पर किसी तरह के जानवरों को नहीं रख सकेगा साथ ही घास आदि नहीं काट सकेगा उसका अधिकार सिर्फ फलों पर ही रहेगा।
8. नीलामीप्राप्तकर्ता फल वृक्षों पर किसी प्रकार की कोई दवाई आदि, महाविद्यालय की बिना अनुमति के नहीं डालेगा। साथ ही फल वृक्षों की शाखाओं को सहारा देने का कार्य स्वयं नीलामी प्राप्तकर्ता को करना होगा।
9. छात्रों द्वारा अनुसंधान कार्य के लिये प्रयुक्त वृक्षों के फल नियमानुसार ही तोड़े जायेंगे व ठेका मालिक को इसकी पूर्व जानकारी दी जायेगी। अनुसंधान के उद्देश्य से अमरुद फल बगीचों में बंधी गुटीयों को विद्यार्थियों / मजदूरों द्वारा काटा जावेगा।
10. जल उपलब्धता अनुसार फल बगीचों में सिंचाई की जावेगी (अधिकतम तीन सिंचाई)।

11. विभाग के स्नातकोत्तर विद्यार्थियों द्वारा अनुसंधान / शोध परीक्षणों हेतु चयनित फल वृक्षों से फल तुड़ाई पूर्व विभाग प्रमुख/चेयरमेन / विद्यार्थी को एक दिन पूर्व सूचित किया जाना होगा।
12. नीलामी प्राप्तकर्ता विद्यालयीन विद्यार्थियों के साथ अभद्र व्यवहार नहीं कर सकता एवं किसी भी प्रकार की समस्या हेतु विभाग प्रमुख/अधिष्ठाता से बातचीत की जावेगी। विद्यार्थियों से किसी भी प्रकार का विवाद करने पर वैधानिक कार्यवाही की जावेगी।
13. नीलामी प्राप्तकर्ता द्वारा आवाजाही महाविद्यालय के मुख्य द्वार से ही की जावेगी एवं परिसर में वाहनो की गती नियंत्रित रखी जावेगी। परिसर में किसी भी प्रकार का तेज शोर-शराबा एवं किसी भी प्रकार की नशेली सामग्री के सेवन पर प्रतिबंध रहेगा।
14. नीलामी प्राप्तकर्ता फलों की तुड़ाई फल फसल अनुसार निम्नलिखित दिनांक तक कर सकेगा।
अमरुद - 15.03.2023, संतरा - 31.12.2022, नींबू-15.03.2023 बर 31.03.2023, बेल 31.05.2023
15. अमरुद, आँवला, संतरा, नींबू, बर एवं बेल फसल बगीचे का अवलोकन (देखने का कार्य) खरीददार कार्यालयीन समय में स्वयं आकर कर सकते हैं।
16. उचित कीमत न आने पर टेण्डर/नीलामी निरस्त की जा सकती है।
17. अमरुद एवं नींबू की कलम काटने पर ठेकेदार को कोई आपत्ति नहीं होगी।
18. ठेकेदार को अपने निवास का पूर्ण पता राशन कार्ड/फोटो परिचय पत्र/आधार कार्ड की छायाप्रति कार्यालय में जमा करनी होगी जिससे उसके निवास का पता प्रमाणित हो सके।
19. समिति द्वारा अधिकतम बोली हेतु निगोशेशन (बातचीत) सभी पार्टियों से एक साथ या अलग-अलग की जा सकेगी। अधिकतम निविदा बोली की राशि स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर का होगा।
20. नगद पैसा या डी.डी. बैंक के माध्यम से नियमानुसार जमा करना होगा।
21. निविदाकर्ता द्वारा कार्यरत श्रमिकों/मजदूरों की जानकारी एवं उनका आधारकार्ड/परिचय पत्र/लिखित में प्रभारी को सूचित करेंगे। इनके अतिरिक्त अन्य व्यक्ति/व्यक्तियों की आवाजाही पर पूर्णतः प्रतिबंध होगा।
22. नीलामी से संबन्धित सर्वाधिकार अधिष्ठाता, उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर के पास सुरक्षित रहेंगे।



अधिष्ठाता

उद्यानिकी महाविद्यालय, मन्दसौर
उद्यानिकी महाविद्यालय
मन्दसौर (म.प्र.)